ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर-174505 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सेर बलौणी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति नीलम कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुरेश कुमार	01.04.2022 से 14.11.2023
2.	श्री नरेंदर कुमार	15.11.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अमरजीत	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में) (₹)
1	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	24.63
2	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.07
3	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.01
4	8.1	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री के क्रय हेतु आपूर्ति के दौरान न लिये गये ट्रांजिट पास फॉर्म के कारण किये गए अनियमित व गलत भुगतान से राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि एवं लाखों रूपये के अनियमित भुगतान करना	0.61
5	8.2	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.23
6	9.1	मनरेगा शीर्ष से अधिक व गलत भुगतान करना	0.01
7	9.2	तकनीकी मूल्याकन के बिना मजदूरी का भुगतान करना।	0.37
8	9.3	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे	0.12

9	9.4	उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान करना	0.26
10	9.5	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	9.87
11	9.6	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	9.31
12	9.7	सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करने बारे।	11.86
13	9.8	प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करना	13.94
14	9.9	मस्ट्रोलों का अनियमितताओं में भुगतान करना	0.41

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी, जोकि चिंताजनक है। अत: ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा किया जा सके। पंचायत के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न विवरणानुसार है :-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "01/04/2019 से 31/03/2021" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत	(माह जनवरी, 2024 में आयोजित विशेष पैर समायोजन अभियान के दौरान)
2	4	निर्णीत	(माह जनवरी, 2024 में आयोजित विशेष पैर समायोजन अभियान के दौरान)
3	5	अनिर्णीत।	
4	6	निर्णीत	(माह जनवरी, 2024 में आयोजित विशेष पैर समायोजन अभियान के दौरान)

5	7	निर्णीत	(माह जनवरी, 2024 में आयोजित विशेष पैर समायोजन अभियान के दौरान)
6	8	अनिर्णीत।	
7	9	अनिर्णीत।	
8	10 (i) (ii)	अनिर्णीत।	
9	11	अनिर्णीत।	
10	12	निर्णीत	(माह जनवरी, 2024 में आयोजित विशेष पैर समायोजन अभियान के दौरान)
11	13	निर्णीत	(माह जनवरी, 2024 में आयोजित विशेष पैर समायोजन अभियान के दौरान)
12	14	निर्णीत	(माह जनवरी, 2024 में आयोजित विशेष पैर समायोजन अभियान के दौरान)
13	15	अनिर्णीत।	
14	16	अनिर्णीत।	
15	17	अनिर्णीत।	
16	18	अनिर्णीत।	
17	19	अनिर्णीत।	
18	20 (i) (ii)	निर्णीत	(माह जनवरी, 2024 में आयोजित विशेष पैर समायोजन अभियान के दौरान)
19	21	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित।
20	22	अनिर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

अतः शेष अनिर्णीत पैरों के समायोजन हेतु प्राथमिकता के आधार पर विशेष कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

भाग-2

2. **वर्तमान अंकेक्षण :-**

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07.08.2024 से 16.08.2024 तक ग्राम पंचायत सेर बलौणी के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	10/2022	10/2022
2023-24	03/2024	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 272/2024 दिनांक 13/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत सेर बलौणी द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित, हमीरपुर, DDO NO – KAA 188683 दिनांक 20.08.2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4. **वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत सेर बलौणी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254/2024 दिनांक 07.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पांच (5) रोकड़ बहियाँ अर्थात् स्व: स्त्रोत (Offline), अनुदान (प्लानिंग)(Offline), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्व: स्त्रोत:-

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	734029.51	74157.00	808186.51	261895.00	546291.51
2023-24	546291.51	111908.00	658199.51	345696.00	**312503.51**

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर , जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	2792947.94	6663895.00	9456842.94	7451508.38	2005334.56
2023-24	2005334.56	3672475.00	5677809.56	3214645.16	**2463164.40**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर , जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	3526977.45	6738052.00	10265029.45	7713403.38	2551626.07
2023-24	2551626.07	3784383.00	6336009.07	3560341.16	**2775667.91**

(2) **दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-**

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत	KCC HAMIRPUR	20005024722	312503.51
	अनुदान (प्लानिंग)	PNB DHANED	1728000100112960	823625.4
	15वां वित्तायोग	PNB DHANED	172800010015071	1639539
2		**योग**		**2775667.91**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत)		0.00
		योग (1+2)		**2775667.91**

(3) **बैंक समाधान विवरणी :-**

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	312503.51
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	2463164.40
3)	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खता "**क**" **व** "**ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	**2775667.91**
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के **बैंक** खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क**" **व** "**ख**" का कुल अंतिम शेष	2775667.91
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	0.00
6)	योग (4+5)	**2775667.91**
7)	**अन्तर (3-6)**	**0.00**

5. **सावधिक निवेश :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्वः-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254/2024 दिनाँक 07.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 154 दिनांक 16/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था|

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हि० प्र० प० रा०(वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप 1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹24.63 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

ANNUAL REPORT

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254/2024 दिनांक 07.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"क")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹2463164.40/-** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254/2024 दिनांक 07.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 154 दिनांक 16/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में

कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254/2024 दिनांक 07.08.2024 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 154 दिनांक 16/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना आवश्यक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254/2024 दिनांक 07.08.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 154 दिनांक 16/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है, क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे|

अतः अंकेक्षणावधि में प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

ANNUAL REPORT

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर राशि ₹0.07 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254/2024 दिनांक 07.08.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **(परिशिष्ट "ख")** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान गृहकर की देय राशि ₹ 7440/- वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	4390	531	50	26550	30940	0	30940
2023-24	30940	577	50	28850	59790	52350	**7440**

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था।

अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि ₹0.01 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹800/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न (परिशिष्ट "ग") में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 259/2024 दिनांक 08.08.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 156 दिनांक 16/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि **₹800/- को राजकीय कोष के Treasuries, account & Lotteries में दिनांक 21.08.2024 को जमा करवा दिया गया है"।**

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के सम्बन्धित शीर्ष में जमा की पुष्टि अंकेक्षण विभाग से करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

8. व्यय

8.1 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री के क्रय हेतु आपूर्ति के दौरान न लिये गये ट्रांजिट पास फॉर्म के कारण किये गए अनियमित व गलत भुगतान राशि ₹0.61 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि एवं नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में लाखों रूपये के अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास विभाग के पत्र – XEN-(RD&PR) – DB –GENERAL 2023-1/204192/2023-34307-30

दिनांक 02.11.2023 के अनुसार खनन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान केवल आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ट्रांजिट पास उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 10/22 व 03/24 के व्यय वाउचरों के के समर्थन में पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को सलंग्न **(परिशिष्ट "घ")** अनुसार राशि **₹60819.28/-** का अनियमित व नियमाविरुद्ध भुगतान एवं अंकेक्षणावधि के दौरान नियमानुसार वैध ट्रांजिट पास प्राप्त करना सुनिश्चित किये बिना ही लाखों रूपये के अनियमित भुगतान किये गये प्रतीत होते हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 263/2024 दिनांक 13/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 156 दिनांक 16/08/2024 द्वारा सूचित किया गया कि" उक्त पत्र में वर्णित राशि **₹60819.28/-** का भुगतान आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ट्रांजिट पास फॉर्म उपलब्ध न करवाने के विरुद्ध(against) नहीं किया जाना था, जिसे भविष्य में ट्रांजिट पास फॉर्म लेने उपरान्त ही किया जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा "| प्रस्तुत उत्तर नियमों एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के प्रतिकूल न होने के कारण मान्य नहीं है।

अत: अंकेक्षणावधि के दौरान नियमों एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के प्रतिकूल किये गये समस्त अनियमित व गलत भुगतानों को या तो नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा अंकेक्षणावधि में कृत समस्त अनियमित भुगतानों के पूर्ण विवरण सहित उन्हें सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से पत्राचार कर तदानुसार निपटाया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच कर अंकेक्षणावधि में किये गये समस्त अनियमित भुगतानों की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.23 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2%

आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति **सलंग्न (परिशिष्ट "ङ")** अनुसार राशि **₹1169946.04/-** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹23398.92/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	अवधि	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	TDS योग्य राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी. एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01.04.2022 to 31.03.2023	Goutam steel sales, salauni, barsar, Hamirpur	steel, iron	512308.14	512308.14	10246.16
2	01.04.2022 to 31.03.2023	Sanjeev tractor workd, vpo bari, Hamirpur	sand, aggrigate, boulder	420737.9	420737.9	8414.76
3	01.04.2022 to 31.03.2023	BSG Solar Eco Energy Pvt Ltd. Hamipur	light, battery	236900	236900	4738.00
Total					**1169946.04**	**23398.92**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 264/2024 दिनांक 13/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 154 दिनांक 16/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से ₹1169946.04/- की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार बनती **₹23398.92/-** GST,TDS की कटौती बिलों में से नही की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये

तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

ANNUAL REPORT

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के प्रावधान अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula :

Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost की अवहेलना करते हुए **निम्न विवरणानुसार** द्वारा राशि **₹1105/-** का अधिक भुगतान किया गया :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि (₹)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि(₹)	लाभार्थी को अधिक भुगतान (₹)
1	C/o RTRWH Tank vill kirwin Raja Ram s/o Ishwar dass	मस्ट्रोल संख्या (3104,92) (17172+17772) =34944 x 2/3 =23296	Sand, Aggregate	24134	23296	838.00
2	c/o RWH Tank vill kirwin in land of Mahinder singh s/o sita ram	मस्ट्रोल संख्या (567,718,827) (22581+8155+5019) =35755x 2/3 =23836	Sand, Aggregate	24103	23836	267.00
Total						**1105.00**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 271/2024 दिनांक 13/08/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 156 दिनांक 16/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया

कि "उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष में materials **रेत व बजरी** के रूप में ₹1105/- की अधिक भुगतान की वसूली हेतु **रसीद संख्या (115836)** काट ली गई है और उक्त राशि को राजकीय कोष खाता संख्या (41930001000031015) में दिनांक 28.08.2024 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण में पुष्टि करवाई जानी सुनिश्चित करें।

भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार आगामी उच्च तकनीकी अधिकारियों के नमूना जांच एवं सत्यापन सहित अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करें।

9.2 बिना तकनीकी मूल्यार्कन के ₹0.37 लाख की मजदूरी व बिलों का भुगतान करना।

ANNUAL REPORT

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं प० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या (SMS-17/2002-RDD (GRS) दिनांक 22.09.2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जायेगा।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 270/2024 दिनांक 13/08/2024 द्वारा पंचायत को अवगत करवाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत **निम्न विवरणानुसार** मस्ट्रोलों व बिलों के भुगतान की राशि ₹37173/- के मस्ट्रोलों पर तकनीकी सहायक के द्वारा माप पुस्तिका संख्या तथा पृष्ठ संख्या सत्यापित करने के वावजूद भी माप पुस्तिका में कार्य मूल्यांकन/कार्य प्रगति की प्रविष्टियों को दर्ज नहीं किया गया था तथा मस्ट्रोलों पर माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या गलत (Fake) लिखित थे और जो माप पुस्तिका संख्या लिखित थी उसके ऊपर किसी और ही काम का विवरण था, जिसके दृष्टांत मामलों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/माह	मस्ट्रोल संख्या/बिल संख्या	अवधि	कार्य का नाम	राशि (₹)	विवरण
1	0 08/23	M-1126	01/09/23 से 14/09/23	c/o Land Levelling Dev Plantation work vill Kirwin dallip singh	6720	मस्ट्रोल में माप पुस्तिका संख्या 145 का पृष्ठ संख्या 34 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ पर किसी भी काम का विवरण दर्ज नहीं था।
2	0 08/23	M-1004	15/08/23 से 20/08/23	c/o Amrit	6270	मस्ट्रोल में माप पुस्तिका संख्या 145 का पृष्ठ संख्या 34 (जाली)

				Vatika / Plantation GP ser balouni		अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ पर किसी भी काम का विवरण दर्ज नहीं था।
		Bill-4153	11.08.23		4375	बिल संख्या 4153 उक्त माप पुस्तिका के पृष्ठ पर किसी भी बिल के भुगतान का विवरण दर्ज नहीं था
		Bill -158	14.08.23		3500	बिल संख्या 158 उक्त माप पुस्तिका के पृष्ठ पर किसी भी बिल के भुगतान का विवरण दर्ज नहीं था
3	0 08/23	M-931	01/08/23 से 14/08/23	c/o wire crate vill kirwin pritam singh	16308	मस्ट्रोल में माप पुस्तिका संख्या 145 का पृष्ठ संख्या 33 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ पर किसी और ही काम के रिकॉर्ड की प्रविष्टियाँ दर्ज थी।
Total					**37173/-**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 270/2024 दिनांक 13/08/2024 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित तकनीकी मूल्यांकन के बिना किये गये व्यय का गलत भुगतान **₹37173/-** के भुगतान की वसूली हेतु **रसीद संख्या (115837)** काट ली गई है और उक्त राशि को राजकीय कोष खाता संख्या (4193000100031015) में दिनांक 28.08.2024 को जमा करवा दिया गया है।

अत: उक्त जमा राशि के इन्द्राज की पुष्टि अंकेक्षण में करवाई जाए तथा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार आगामी उच्च तकनीकी अधिकारियों के नमूना जांच एवं सत्यापन सहित अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करें।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करना सुनिश्चित कि जाये तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.12 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे :-

ANNUAL REPORT

As per Himachal Pradesh public work department specifications rules 2.1.2.13 Coarse and fine aggregates supplied at site of works shall be paid for in cubic meters and actual volume of the aggregates to be paid for shall be computed after deducting the 12.5 percentage from the volume computed by stack measurements.

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 10/2022 व 03/2024 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) के खरीद हेतु **निम्न विवरणानुसार** राशि **₹93525/-** का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण राशि **₹11690.63/-** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 265/2024 दिनांक 13.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 156 दिनांक 16/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर **₹11690.63**/- रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की दी जाएगी। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

क्रम संख्या	वाउचर /बिल संख्या	दिनांक	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा (m3)	मूल्य दर (m3)	मूल्य (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids) (₹)
1	60	10/2022	Sanjeev tractor workd vpo Bari, Hamirpur	stone	9	1000	9000	12.5	1125.00
2	188	03/2024	Sanjeev tractor workd vpo Bari, Hamirpur	stone	35	1150	40250	12.5	5031.25
3	154	03/2024	Sanjeev tractor workd vpo Bari, Hamirpur	stone	16	1150	18400	12.5	2300.00
4	155	03/2024	Sanjeev tractor workd vpo Bari,	stone	12	1150	13800	12.5	1725.00

			Hamirpur						
5	150	03/2024	Sanjeev tractor workd vpo Bari, Hamirpur	stone	10.5	1150	12075	12.5	1509.38
Total							**93525**	**12.5**	**11690.63**

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों हेतु राशि **₹11690.63**/- के अधिक भुगतान का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर राशि ₹ 0.26 लाख का भुगतान करना:-

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुदान (प्लानिंग) शीर्ष से निम्नानुसार आपूर्तिकर्ता को शटरिंग और पेंटिंग कार्य हेतु **निम्न विवरणानुसार ₹26202/-** का भुगतान किया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है।

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 269/2024 दिनांक 13.08.2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया।

प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 156 दिनांक 16/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	C/o path and r/wall near well, vill ser	shuttring	1464.00
2	GIA (Planning)	R/o csc faarsi near mahila mandal bhawan	painting work	12152.00
3	GIA (Planning)	R/o csc faarsi near mahila mandal bhawan	painting work	12586.00
Total				26202.00

अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त करना सुनिश्चित किये जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.5 राशि ₹9.87 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 10/2022 व 03/2024 में **(सलंग्न परिशिष्ट "च") अनुसार विभिन्न निर्माण** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत अनियमानुसार राशि ₹**986664**/- का भुगतान किया गया था, जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 268/2024 दिनांक 13/08/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव द्वारा पत्र 156 दिनांक 16/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा"।

अत: नियमानुसार अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9.6 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹9.31 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) अनुसार स्टॉक / स्टोर का क्रय करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं |

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित मास 10/2022 व 03/2024 में **सलंग्न (परिशिष्ट "छ")** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹930641/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आदि औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 266/2024 दिनांक 13.08.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 156 दिनांक 16/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित **₹930641/-**की औपचारिकताएं पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं" । प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस वारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योंतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए

9.7 राशि ₹11.86 लाख सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना |

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् ,बजट,लेखे, संपरीक्षा,सकर्म,कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टॉक /सामान की प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 10/2022 व 03/2024 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **सलंग्न (परिशिष्ट "ज") राशि ₹1186415/-** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित लेखांकन नहीं था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 267/2024 दिनांक 13/08/2024 द्वारा यह प्रकरण सचिव, के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 156 दिनांक 16/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में **₹1186415/-** के क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का इन्द्राज न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है |

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें |

9.8 **राशि ₹13.94 लाख के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 273/2024 दिनांक 13/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **सलंग्न परिशिष्ट "झ"** अनुसार राशि ₹1393615/- के कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 156 दिनांक 16/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना स्वत: आपतिजनक है क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करने से कृत व्यय की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अति शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें।

9.9 **राशि ₹0.41 लाख मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई अनियमितताओं के बारे :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1)(2) वर्णित प्रावधानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा सयुंक्त हस्ताक्षर किया जाना आपेक्षित है, इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(1) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मस्ट्रोलों पर सतर्कता समिति के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए थे, प्रधान और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त भुगतान आदेश के बिना ही भुगतान किया गया था, मस्ट्रोलों में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को भी प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 274/2024 दिनांक 13/08/2024 द्वारा पंचायत को **निम्न विवरणानुसार** अवगत करवाया गया, जिसके प्रतिउतर में सचिव द्वारा कहा गया कि अनियमितताओं की पुनरावृति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कारवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।

क्रम संख्या	मद	कार्य का नाम	मस्ट्रोल संख्या	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o protectin wall vill kirwin near h/o balbir singh	2447	10560
2	MNREGA	C/o protectin wall vill kirwin near h/o balbir singh	-	4560
3	MNREGA	C/o protection wall vill ser near the kitchen roshan lal s/o dass ram	2449	11280
4	MNREGA	C/o protection wall vill ser near the kitchen roshan lal s/o dass ram	2585	15048
		Total		**41448**

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र अतिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुसरण करना आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था। लेखांकन प्रक्रिया की इस अनियमितता एवं पारदर्शिता के अभाव के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3	बजट प्राकलन	11	37
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित	30	89

	अभिलेख का रख रखाव न करना		
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
10	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
11	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 255/2024 दिनांक 07.08.2024 द्वारा पंचायत को इस अनियमितता बारे अवगत करवाया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 155 दिनांक 16/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को बना लिया जाएगा और अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण को किये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक वार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254/2024 दिनांक 07.08.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में पत्र संख्या 154 दिनांक 16/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुतउतर

तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

4979–4983 क्र०/प्रति
06 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)108/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

क्र०/प्रति

Annaxure 'क' पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत-सेर बलौणी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	734029.51	74157.00	808186.51	261895.00	546291.51
2	2023-24	546291.51	111908.00	658199.51	345696.00	**312503.51**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	2792947.94	6663895.00	9456842.94	7451508.38	2005334.56
2	2023-24	2005334.56	3672475.00	5677809.56	3214645.16	**2463164.40**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	3526977.45	6738052.00	10265029.45	7713403.38	2551626.07
2	2023-24	2551626.07	3784383.00	6336009.07	3560341.16	**2775667.91**

सचिव
ग्राम पंचायत सेर बलौणी
विकास खण्ड हमीरपुर
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

ग्राम पंचायत-सेर बलौणी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
अनुदान (प्लानिंग)(Offline) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1418679.94	1630143.00	3048822.94	2519604.38	529218.56
2	2023-24	529218.56	1078162.00	1607380.56	783755.16	**823625.40**

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	253042.00	253042.00	253042.00	0.00
2	2023-24	0.00	632218.00	632218.00	632218.00	**0.00**

15वें वित्तायोग (Offline)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1374268.00	1295767.00	2670035.00	1193919.00	1476116.00
2	2023-24	1476116.00	249312.00	1725428.00	85889.00	**1639539.00**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	3484943.00	3484943.00	3484943.00	0.00
2	2023-24	0.00	1712783.00	1712783.00	1712783.00	**0.00**

सचिव
ग्राम पंचायत सेर बलौणी
विकास खण्ड हमीरपुर
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

Annaxure 'ख' पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत सेर बलौनी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	4390	531	50	26550	30940	0	30940
2023-24	30940	577	50	28850	59790	52350	**7440**

सचिव
ग्राम पंचायत सेर बलौनी
विकास खण्ड हमीरपुर
जिला हमीरपुर (उ० प्र०)

(26)

Annaxure ग पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर							
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2022 से 31.03.2024)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	BHAG SINGH W/O VASANTI DEVI	22.02.1996	25.10.2022	115479	400	400	0
2	DEV RAJ W/O KAMLA DEVI	24.05.1969	24.05.2023	115487	400	400	0
Total Amount					**800**	**800**	**0**

Sharma

सचिव
ग्राम पंचायत सेर बलौणी
विकास खण्ड हमीरपुर
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

Annaxure 'ख' पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

रॉयल्टी की वसूली न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 10/22 और 03/24)

Ser No	Scheme	Name Of Work	Voucher No	Bill no and Date	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Qty (Mt)	Rate per tonne (₹)	Total (₹)
1	MGNREGA	C/o R/Wall Biyasan Devi W/o Jai Karan Vill.Kirwin		86/2022	Sanjeev Kumar	Agg.	7	1.52	10.64	80	851.20
						sand	3.2	1.62	5.18	80	414.40
2	MGNREGA	C/o Serigation Cenre Vill. Balouni		141/2023	Sanjeev Kumar	Agg.	10	1.52	15.2	80	1216.00
						sand	7.9	1.62	12.79	80	1023.20
						Boulder	6	2.24	13.44	80	1075.20
3	MGNREGA	C/o RWH Tank Raja Ram S/o Ishwar Dass Vill. Kirwin		148/2023	Sanjeev Kumar	Agg.	8.28	1.52	12.58	80	1006.40
						sand	6	1.62	9.72	80	777.60
4	MGNREGA	C/o W/Crate Vill. Kirwin Rajesh Kumar		154/2023	Sanjeev Kumar	Boulder	16	2.24	35.84	80	2867.20
5	MGNREGA	C/o W/Crate Vill. Kirwin Rajesh Kumar		155/2023	Sanjeev Kumar	Boulder	12	2.24	26.88	80	2150.40
6	MGNREGA	C/o RWH Tank Mahinder Singh Vill. Kirwin		149/2023	Sanjeev Kumar	Agg.	8.25	1.52	12.54	80	1003.20
						sand	6	1.62	9.72	80	777.60
7	MGNREGA	C/o Park Vill. Kirwin		34/153/2022	Sanjeev Kumar	Agg.	42	1.52	63.84	80	5107.20
						sand	20.5	1.62	33.21	80	2656.80
8	MGNREGA	C/o R/Wall Ishwar Dass S/o Bhagat Ram Vill. Balouni		146/2023	Sanjeev Kumar	Agg.	4.82	1.52	6.87	80	549.60
						sand	4.24	1.62	6.86	80	548.80
9	MGNREGA	C/o Prangan Panchayat Ghar Balouni		150/2023	Sanjeev Kumar	Agg.	18	1.52	27.36	80	2188.80
						sand	15	1.62	24.3	80	1944.00
						Stone	10.5	2.24	23.52	80	1881.60

सचिव ग्राम पंचायत सेर बलौणी विकास खंड हमीरपुर जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

29

10	MGNREGA	C/o S/Marg M.Mandal Bhawan Se Mansa Ram ke Ghar Tak Vill. Nichli Balouni		184/23	Sanjeev Kumar	Agg.	33.7	1.52	51.22	80	4097.60
						sand	16	1.62	25.92	80	2073.60
11	MGNREGA	C/o RWH Tank Rajnish Kumar Vill. Ser		147/2023	Sanjeev Kumar	Agg.	8.43	1.52	12.81	80	1024.80
						sand	5	1.62	8.1	80	648.00
12	15th fin.	c/o Park in village Kirwin		62/2022	Sanjeev Kumar	Agg.	8.6	1.52	13.07	80	1045.60
						sand	4.96	1.62	8.035	80	642.81
13	15th fin.	c/o toilet tank in G PS Balouni		93/22	Sanjeev Kumar	Agg.	9.3	1.52	14.136	80	1130.88
						sand	4.9	1.62	7.938	80	635.04
14	15th fin.	c/o shamshan ghat shed vill. Chamsai		112/23	Sanjeev Kumar	Agg.	8.5	1.52	12.92	80	1033.60
						sand	4.15	1.62	6.723	80	537.84
						Stone	4.25	2.24	9.52	80	761.60
15	15th. Fin.	c/o drain in vill. Chamsai		113/23	Sanjeev Kumar	agg	2.55	1.52	3.876	80	310.08
						sand	1.2	1.62	1.944	80	155.52
16	15th fin.	c/o drain in vill.Balouni		114/23	Sanjeev Kumar	Agg.	2.43	1.52	3.693	80	295.48
						sand	1.26	1.62	2.041	80	163.29
17	15th fin.	c/o path in vill. Ser main road to house of Balak Ram		115/23	Sanjeev Kumar	Agg.	7	1.52	10.64	80	851.20
						sand	3.7	1.62	5.994	80	479.52
18	S B M	C/O C S C Balouni near community bhawan		138/23	Sanjeev Kumar	Agg.	21	1.52	31.92	80	2553.60
						sand	9.6	1.62	15.552	80	1244.16
19	S B M	c/o drain and soak pit vill. Ser ward no. 5		165/24	Sanjeev Kumar	Agg.	5	1.52	7.6	80	608.00
						sand	2.5	1.62	4.05	80	324.00
										योग	**48655.42**
										25% पेनल्टी	12163.86
										कुल योग	**60819.28**

सचिव Sharma
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड हमीरपुर
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

30

28

Annaxure (ड.) पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत सेर बलोणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(GST/TDS) की वसूली न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	TDS योग्य राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01.04.2022 to 31.03.2023	Goutam steel sales, salauni, barsar, Hamirpur	steel, iron	512308.14	512308.14	10246.16
2	01.04.2022 to 31.03.2023	Sanjeev tractor workd, vpo bari, Hamirpur	sand, aggrigate, boulder	420737.9	420737.9	8414.76
3	01.04.2022 to 31.03.2023	BSG Solar Eco Energy Pvt Ltd. Hamipur	light, battery	236900	236900	4738.00
Total					**1169946.04**	**23398.92**

सचिव ग्राम पंचायत सेर बलोणी विकास खण्ड हमीरपुर जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

31

Annaxure -च- पैरा संख्या 9.5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 10/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o panchayat ghar, ser balouni	161	2,837	Goutam steel sales, salauni, barsar	iron	346124.00
2	GIA (Planning)	c/o panchayat ghar hall , ser balouni	65	3198 10/22	Goutam steel sales, salauni, barsar	iron	414221.00
3	MNREGA	c/o segrigation centre vill balouni	0	157 03/24	M/S Alishan almirah industry, po hadeta nadaun	shutter steel	39000.00
4	MNREGA	wire crate of rajesh kumar vill kirwin	0	154 03/24	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	Stone, sign board	20386.00
5	MNREGA	wire crate of pritam singh vill kirwin	0	154 03/24	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	Stone, sign board	15800.00
6	MNREGA	c/o land leveling and plantation balbir singh vill kirwin	0	4101 03/24	dept of Horticulture hamirpur	plants	3350.00
7	MNREGA	c/o prangan panchayat ghar ser balouni	0	150 03/24	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	Stone, sand, aggri, sign board	68033.00
8	MNREGA	c/o prangan panchayat ghar ser balouni	0	277 03/24	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	paver block	75375.00
9	MNREGA	c/o amrit vatika plantation ser balouni	0	4153 03/24	dept of Horticulture hamirpur	plants	4375.00
Total							**986664.00**

32

Annaxure 'ट'. पैरा संख्या 9.6 में संदर्भित

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना किया गया क्रय (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 10/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	own source	c/o community toilet balouni	22	1394 09/22	pradeep hardware & cement store vill ropa, nalti, hamirpur	iron	30271.00
2	GIA (Planning)	c/o panchayat ghar, ser balouni	161	2,837	Goutam steel sales, salauni, barsar	iron	339924.00
3	GIA (Planning)	c/o panchayat ghar hall , ser balouni	65	3198 10/22	Goutam steel sales, salauni, barsar	iron	284842.00
4	GIA (Planning)	c/o nala tatikaran from virendar kumar house	36	1527,1526 03/24	neelkanth udyog vill ropa hamirpur	GI Wire	45258.00
5	SBM	c/o sagrigation center ser balouni	1	1395 10/22	pradeep hardware & cement store vill ropa, nalti, hamirpur	iron	100442.00
6	SBM	c/o drain shock pit vill ser ward 5	0	4171 12/23	Goutam steel sales, salauni, barsar	pvc pipes	41800.00
7	15FC	c/o toilet of panchayt ghr vill ser balouni	10	157 07/23	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	bricks	31325.00
8	15FC	c/o toilet of panchayt ghr vill ser balouni	8	9 03/24	v k enterprises vpo dhaned hamirpur	hardware items	17779.00
9	MNREGA	c/o segrigation centre vill balouni	0	157 03/24	M/S Alishan almirah industry, po hadeta nadaun	shutter steel	39000.00
				Total			930641.00

33

Annaxure 'ज' पैरा संख्या ९.७ में संदर्भित

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)
(चयनित माह 10/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o panchayat ghar, ser balouni	58	2,837	Goutam steel sales, salauni, barsar	iron	339924.00
2	GIA (Planning)	c/o panchayat ghar hall, ser balouni	60	87 10/22	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	sand, aggri, bricks	231330.00
3	GIA (Planning)	c/o panchayat ghar hall , ser balouni	65	3198 10/22	Goutam steel sales, salauni, barsar	iron	284842.00
4	GIA (Planning)	c/o path and r/wall near well, ser	31	178 10/22	suresh kumar building material supplier, villl kirwin hamripur	sand, aggri	12558.00
5	GIA (Planning)	c/o path and r/wall near well, ser	34	178,170 10/22	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	sand, aggri	19560.00
6	SBM	c/o sagrigation center ser balouni	1	1395 10/22	pradeep hardware & cement store vill ropa, nalti, hamirpur	iron	100442.00
7	SBM	c/o sagrigation center ser balouni	3	91 10/22	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	sand, aggri	29100.00
8	SBM	c/o drain shock pit vill ser ward 5	o	165 01/24	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	sand, aggri	13125.00
9	15FC	c/o toilet of panchayt ghr vill ser balouni	10	157 07/23	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	bricks	31325.00

सचिव ग्राम पंचायत सेर बलौणी विकास खण्ड हमीरपुर जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

34

10	MNREGA	c/o R/wall biyas devi w/o jai karan vill kirwin	0	86 03/24	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	sand, aggri	17176.00
11	MNREGA	c/o segrigation centre vill balouni	0	157 03/24	M/S Alishan almirah industry, po hadeta nadaun	shutter steel	39000.00
12	MNREGA	gan panchayat ghar ser	0	150 03/24	sanjeev tractor workd vpo bari, hamirpur	Stone, sand, aggri, sign board	68033.00
Total							1186415.00

35

22

Annaxure 'झ' पैरा संख्या 9.8 में सदर्भित

ग्राम पंचायत सेर बलौणी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 10/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o gram panchayat ser balouni	339924
2	GIA (Planning)	c/o additional hall in panchayt ser balouni	850243
3	GIA (Planning)	c/o path and retaining wall, vill ser valouni	12558
4	GIA (Planning)	c/o wall near nala of virender singh dhiman House	126766
5	15th	c/o community toilet ser balouni	15020
6	15th	c/o boudi and bathroom near ground ser	31325
7	15th	c/o toilet in ser balouni	17779
		Total	**1393615**